कार्यालय नगर पंचायत खरखौदा (मेरठ)

सं0–224/न0पं0/2013–2014 दिनांकः– 2.01.2014

टेन्डर /कुटेशन नोटिस

13वें वित्त आयोग की वर्ष 2013–2014 सें प्राप्त धनराशि सें निम्न कार्य के लिये सीलबन्द टेन्डर/कुटेशन दिनांकः 15.01.2014 तक दिन के 12 बजे तक नगर पंचायत खरखौदा (मेरठ) कें कार्यालय/प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय) मेरठ के कार्यालय में पंजीकृत/मान्यता प्राप्त ठेकेदार /फर्म से आमंत्रित किये जाते है, जो दिनांक. 15.01.2014 को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कें कार्यालय में दिन के 2 बजे से 3 बजे के बीच खोले जायेगे। कार्य 13वें वित्त आयोग से वर्ष 2013–2014 में प्राप्त धनराशि से कराये जा रहे है।

प्रस्तावित कार्यो का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा फार्म की धनराशि	कार्य अवधि
1–जलापूर्तिः–				
1–60 एच0पी0 स्टार्टरों एवं केबिल की आपूर्ति।	1,56,676.00	15,700.00	200.00	1 माह
2–वर्षा–जल निकासीः–				
1–निर्माण नाला वार्ड सं02 में रविदत्त के मकान सें रामनाथ के मकान तक।	1,27,150.00	12,700.00	200.00	1 माह
2–निर्माण नाला वार्ड सं02 में राधा के प्लाट सें सन्तरपाल तक।	54,400.00	5,500.00	100.00	1 माह
3–निर्माण नाला वार्ड सं08 में मुन्शी सें चन्द्रपाल तक।	4,18,150.00	42,000.00	400.00	2 माह
3–ठोस अपशिष्ठ पदार्थो का प्रबन्धनः–				
1–दों मैगजिमों फोरव्हीलर का कय हाईड्रोलिक सिंस्टम सहित।	12,39,090.00	1,24,000.00	1000.00	1 माह
2–कूडा धर का निर्माण सडक सहित।	36,31,850.00	3,64,000.00	3000.00	2 माह

नोटः–

1- ठेकेदार/फर्म को टेन्डर/कुटेशन देते समय 2प्रंतिशत जमानत राशि नकद/बचत पत्र के रूप में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के पास में जमा करनी होगी।

2- ठेकेदार/फर्म को अपने कय किये गये निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना होगा तथा एक शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर स्टाम्प डयूटी के विषय में देना होगा जिसका प्रारूप नगर पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है।

3- ठेकेदार/फर्म कों टेन्डर/कुटेशन देते समय शासन के आदेशो को अवश्य पढ ले जो टेन्डर जारी करने वाले के पास उपलब्ध है। टेन्डर/कुटैशन फार्म कार्यालय नगर पंचायत खरखौदा पर उपलब्ध है। जों किसी भी कार्य दिवस में कय कियें जा सकतें है।

4- अधोहस्ताक्षरी द्वारा सशर्त टेन्डर/कुटेशन स्वीकार नही किये जायेगे। किसी भी टेन्डर/कुटेशन को बिना कारण बताये रदद किया जा सकता है।

5- स्टार्टर एवं मैगजिमों आपूर्ति कर्ता कों अपनें अधिकृत विकेंता होने का प्रमाण पत्र एवं गारन्टी कार्ड कुटेशन प्रस्तुत करते समय देना होगा।

अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष
नगर पंचायत खरखौदा (मेरठ)

प्रतिलिपिः–

6- अपर जिलाधिकारी (प्र0) मेरठ को एन0आई0सी0 में प्रकाशन हेतु एवं अवलोकनार्थ।
7. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मेरठ कों सूचनार्थ प्रेषित।
8. नाजिर, सदर, मेरठ।
9. समस्त नगर पालिका/नगर पंचायते, जिला, मेरठ।
10. दैनिक जागरण मेरठ को इस आश्य से प्रेषित कि कृप्या इसे कम से कम स्थान में छापकर बिल इस निकाय को प्रस्तुत करने का कष्ट करे तथा विज्ञापन वाले पृष्ठ की कम सें कम पॉच प्रतियॉ बिल के साथ संलग्न करें।।
11. नोटिस बोर्ड नगर पंचायत खरखौदा।
12. समस्त सदस्यों कों सूचनार्थ प्रेषित।

NIC

आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(दीप चन्द्र)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ।

अर्चना

अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष
नगर पंचायत खरखौदा (मेरठ)